



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251125
CG-DL-E-03012024-251125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]
No. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2024

सं. 55/2023

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 73 के एचएस कोड 7318 के अंतर्गत शामिल स्क्रूज की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 55(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 73 के अंतर्गत शामिल एचएस कोडस हेतु आयात नीति और नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती है:—

एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	नई नीतिगत शर्त
73181110	- श्रेडेड वस्तुएं - -- कोच स्क्रूज, -- मशीन स्क्रूज	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 और 3 के अधीन	निषिद्ध	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु. प्रति किलोग्राम अथवा अधिक हो और यह इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 2 और 3 के अधीन है।

73181190	- थ्रेडेड वस्तुएं - -- कोच स्क्रूज, -- अन्य	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 और 3 के अधीन	निषिद्ध	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु. प्रति किलोग्राम अथवा अधिक हो और यह इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 2 और 3 के अधीन है।
73181200	- थ्रेडेड वस्तुएं - -- अन्य लकड़ी के स्क्रूज,	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 और 3 के अधीन	निषिद्ध	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु. प्रति किलोग्राम अथवा अधिक हो और यह इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 2 और 3 के अधीन है।
73181300	- थ्रेडेड वस्तुएं - -- स्क्रू हुक्स और स्क्रू रिंग्स	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 और 3 के अधीन	निषिद्ध	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु. प्रति किलोग्राम अथवा अधिक हो और यह इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 2 और 3 के अधीन है।
73181400	- थ्रेडेड वस्तुएं - -- सेल्फ टेपिंग स्क्रूज	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 और 3 के अधीन	निषिद्ध	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु. प्रति किलोग्राम अथवा अधिक हो और यह इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 2 और 3 के अधीन है।
73181500	- थ्रेडेड वस्तुएं :- अन्य स्क्रूज और बोल्ट्स चाहे वह उनके नट्स और वाषर्स के साथ हों या नहीं	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 और 3 के अधीन	निषिद्ध	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु. प्रति किलोग्राम अथवा अधिक हो और यह इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 2 और 3 के अधीन है।
73181900	थ्रेडेड वस्तुएं - अन्य	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 और 3 के अधीन	निषिद्ध	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु. प्रति किलोग्राम अथवा अधिक हो और यह इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 2 और 3 के अधीन है।

इस अधिसूचना का प्रभाव : आईटीसी (एचएस) कोड्स 73181110, 73181190, 73181200, 73181300, 73181400, 73181500 और 73181900 के अंतर्गत स्क्रूज की आयात नीति और नीतिगत शर्त को 'मुक्त' से संशोधित कर 'निषिद्ध' किया गया है। तथापि, आयात मुक्त होगा यदि सीआईएफ मूल्य 129 रु./- प्रति कि. ग्रा. अथवा अधिक हो।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/13/एम-23/पीसी-2(क)/ई-37595]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2024

No. 55 /2023

Subject: Amendment in Import Policy and Policy condition of Screws covered under HS code 7318 of Chapter 73 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 55(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy and policy condition for specific HS codes covered under Chapter 73 of the ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) as under:

HS code	Item Description	Existing Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Import Policy	New Policy Condition
73181110	-Threaded articles: --- - Coach Screws --- Machine screws	Free	Subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg and subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter
73181190	-Threaded articles: --- - Coach Screws --- Other	Free	Subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg and subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter
73181200	- Threaded articles : -- Other wood screws	Free	Subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg and subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter
73181300	- Threaded articles : -- Screw hooks and screw rings	Free	Subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg and subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter
73181400	- Threaded articles : -- Self- tapping screws	Free	Subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg and subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter
73181500	- Threaded articles : -- Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers	Free	Subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg and subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter
73181900	- Threaded articles : -- Other	Free	Subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg and subject to Policy condition no. 2 and 3 of this Chapter

Effect of the notification: The Import Policy of Screws under ITC (HS) Codes 73181110, 73181190, 73181200, 73181300, 73181400, 73181500 and 73181900 is revised from "Free" to "Prohibited". However, import shall be "Free" if CIF value is Rs. 129/- or above per Kg.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/13/AM-23/PC-2[A] /E-37595]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.